हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
बेज नं0 67–70, सैक्टर–2, पंचकूला–134151
(वेबसाईट www.hssc.gov.in)

लिखित परीक्षा (ओएमआर शीट आधारित) हेतु उम्मीदवारों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश

1. सभी उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को कोविड/कोरोना के प्रति तुरन्त टीकाकरण करवा लें।
2. उम्मीदवारों को अपने चेहरे को मास्क के साथ कवर करके आना होगा। बिना मास्क के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उम्मीदवारों को पहचान के उद्देश्य हेतु मास्क हटाने के लिए कहा जा सकता है। उम्मीदवारों को सैनिटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।
3. उम्मीदवारों को दो नवीनतम रंगीन फोटो के साथ प्रिंटिड एडमिट कार्ड लाना होगा जिसमें से एक फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित बी अंकित स्थान पर चिपकानी होगी और एक फोटो सहित पहचान सबूत जैसे ड्राईविंग लाईसैन्स, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि को परीक्षा केन्द्र में लाना होगा अन्यथा उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र में आने की अनुमति नहीं होगी।
4. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपेक्षित योग्यताएं एवम आयु इत्यादि को पूर्ण करते हों और अंतिम तिथि पर विज्ञापन के अनुसार उक्त पद हेतु सभी पात्रता शर्तो को पूर्ण करतें हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उम्मीदवार अनिवार्य योग्यता शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को बिना कोई कारण बताए या सूचना दिए बिना तुरन्त निरस्त कर दी जाएगी इसके अलावा आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाली अन्य कार्यवाही भी होगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा/मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा। यह एडमिट कार्ड प्रोविजनल है और अंतिम तिथि तक विज्ञापित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने की शर्त के अधीन होगा।
5. उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र में एडमिट कार्ड में निर्दिष्ट ऐंट्री/रिर्पोटिंग टाईम से पहले पहुंचना होगा ताकि स्क्ररुटीनी स्टाफ द्वारा सैनेटाईजेशन, बायोमीट्रिक, फ्रिस्किंग,

निरीक्षक द्वारा एडमिट कार्ड की चेकिंग, अटैंडस शीट में उपस्थिति दर्ज करना और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा सके। उम्मीदवार को परीक्षा की समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

6. उम्मीदवार परीक्षा आरम्भ होने तथा पहले पांच मिनट के भीतर यह सुनिश्चित करें कि उसके/उसकी टेस्ट बुकलेट के सभी पृष्ठ अच्छी तरह से प्रिंटिड हैं और टेस्ट बुकलेट किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हैं और ओ एम आर शीट और टेस्ट बुकलेट का सिरीयल नम्बर एक दूसरे से मिलतें हों। किसी भी विसंगति की स्थिति में उम्मीदवार तुरन्त टेस्ट बुकलेट को बदलने के लिए इनविजिलेटर को मामले से अवगत करवाऐ। इस सम्बंध में कोई भी दावा परीक्षा आरम्भ होने के पांच मिनट के बाद मान्य नहीं होगा।
7. उम्मीदवार ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर सही टेस्ट बुकलेट कोड भरने को सुनिश्चित करें। यदि बुकलेट कोड के लिए रखी जगह खाली छोड़ी जाती है अथवा उसमें एक बुकलेट कोड से अधिक अंकित किए जातें हैं और हिदायतों के अनुसार नाम व रोल नम्बर नही भरा जाता है, तो उसे गलत बुकलेट कोड माना जाएगा और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
8. उम्मीदवार टेस्ट बुकलेट कोड को लिखने में की गई किसी भी गलती या चूक से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों के लिए केवल स्वयं ही जिम्मेवार होगा/होगी। उम्मीदवार अपना एलटीआई (पुरुष) व आरटीआई (महिला) अटेंडेंस शीट पर सभी तीन ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात मूल प्रति, आयोग की प्रति तथा उम्मीदवार की प्रति में घोषणा पर लगाएगा।
9. उम्मीदवारों को ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं को मोड़ने, फाड़ने, नष्ट करने अथवा उस पर कोई भी स्ट्रे मार्क बनाने के लिए चेतावनी दी जाती है। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर इरेजर, नाखून, ब्लेड, सफेद फलूड/व्हाईटनर आदि का इस्तेमाल स्क्रैच या किसी भी प्रकार की क्षति को स्मज करने हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित है। उत्तर पुस्तिका पर किसी भी प्रकार से इरेजर, ब्लेड, नाखून या व्हाईट फ्लूड/व्हाईटनर का इस्तेमाल

करना, स्मज, स्क्रैच या क्षति को सही करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी / ओएमआर शीट निरस्त कर दी जाएगी।

10. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगें, जिसमें केवल एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए ओएमआर शीट की केवल मूल प्रति पर केवल एक सर्कल को डार्क करें जिसे भी आप ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर सही समझते हैं, और इसे केवल आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए नीले / काले बॉल पैन के साथ मार्क करे। उम्मीदवारों को आयोग की कॉपी और उम्मीदवार की कॉपी पर किसी भी मार्क को न लगाने की चेतावनी दी जाती है। मूल ओएमआर शीट का इम्प्रेशन ओएमआर उत्तर पुस्तिका की आयोग की कॉपी पर और उम्मीदवार की कॉपी पर स्वतः मार्क हो जाएगी। सर्कल डार्क करने के लिए पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक से ज्यादा सर्कल को डार्क किया हुआ पाया जाता है, तो उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके इलावा, यदि उम्मीदवार एक से अधिक सर्कल डार्क करता है और इरेजर, नाखून, ब्लेड, व्हाईट फ्लूड / व्हाईटनर आदि के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर स्मज / स्क्रैच करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ओएमआर शीट / उत्तर पुस्तिका और उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार केवल स्वयं ही जिम्मेवार होगा / होगी।

11. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र मे कोई भी मोबाईल फोन, किसी भी प्रकार की घड़ी, बैल्ट, पहनने वाले आभूषण जैसे रिंग, चेन, इयरिंग इत्यादि, इलैक्ट्रोनिक या कम्युनिकेशन डिवाईस, पैन, पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर एवम कोरेक्टिंग फ्लूड लेकर न आयें। यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार के पास परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन एवम उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार कोई अन्य सहायक सामग्री पाए जाने पर गम्भीर उल्लंघन समझा जाएगा एवम यह उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के बराबर होगा एवम उसे भविष्य में एचएसएससी की परीक्षा से वर्जित कर दिया जाएगा।

12. उम्मीदवार परीक्षा हॉल में इन्विजीलेटर की उपस्थिति में इसके लिए प्रिंटिड स्थानों पर एडमिट कार्ड पर अपने हस्ताक्षर एवम अंगूठा चिन्ह देगा।

13. लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले जाँचा (फ्रिस्किंग की जाएगी) जाएगा। इस दौरान सीसीटीवी कैमरा, क्यूआर कोड/अटेंडेंस की स्कैनिंग, फेशियल बायोमीट्रिक अटेंडेंस, विडियोग्राफी एवम जैमर इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा ताकि परीक्षा हॉल/परीक्षा केन्द्र में नकल एवम एक के स्थान पर दूसरे के द्वारा परीक्षा देना इत्यादि को रोका जा सके।

14. उम्मीदवारों द्वारा तिथि, सत्र, परीक्षा केन्द्र एवम परीक्षा हॉल में सीट में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. निरीक्षक द्वारा परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार के साथ उसकी अटेंडेंस शीट या उसके एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार की स्कैन की गई फोटोग्राफ का मिलान किया जाएगा। यदि उम्मीदवार एवम फोटोग्राफ की पहचान एवम सत्यापन में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी तथा वह आपराधिक अभियोजन के लिए जिम्मेवार होगा।

16. परीक्षा में पहले व अंतिम के तीस मिनटों के दौरान किसी भी उम्मीदवार को शौचालय/वाशरुम जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. उम्मीदवार को ओएमआर शीट खाली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ओएमआर शीट खाली पाई जाती है, तो निरीक्षक द्वारा इस पर क्रास लगा दिया जाएगा और उसके हस्ताक्षर के साथ उन पर "निरस्त" (कैंसल्ड) लिख दिया जाएगा।

18. यदि प्रश्न बुकलेट में किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवम हिन्दी पाठ में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो केवल अंग्रेजी पाठ को ही अंतिम/वास्तविक माना जाएगा।

19. ओएमआर शीट की तीन प्रतियां होगी अर्थात मूल प्रति, आयोग की प्रति एवम उम्मीदवार की प्रति। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उम्मीदवार सम्पूर्ण ओएमआर उत्तर शीट अर्थात सभी तीन प्रतियों को निरीक्षक को सुपुर्द कर देंगें तथा इसके पश्चात निरीक्षक उम्मीदवार की प्रति उम्मीदवार को दे देगा। उम्मीदवार अपने साथ ओएमआर उत्तर शीट की उम्मीदवार की प्रति एवम प्रश्न बुकलेट साथ ले जाएगा। अगर

उम्मीदवार निरीक्षक को ओएमआर उत्तर शीट की सभी तीनों प्रतियों को नहीं देता है एवम कोई भी उपरोक्त दस्तावेजों को साथ ले जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवम उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी आरम्भ की जाएगी।

20. यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करता या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है, तो आयोग निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा एवम इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को एचएसएससी द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने से रोक भी सकता है और आपराधिक कार्यवाही भी आरम्भ कर सकता है।

21. **मानक दिव्यांग व्यक्तियों हेतू** : मानक दिव्यांग व्यक्तियों हेतू (नेत्रहीन/दृश्य विकलांगता/लोकोमोटर विकलांगता–दोनो हाथ प्रभावित, सेरेबल पल्सी) जिन्हें अपना पेपर लिखने में लिपिक की मदद चाहिए, को संबद्ध दस्तावेजों सहित अर्थात आवेदन, सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र, उम्मीदवार का आधार कार्ड एवम लिखा हुआ एवम स्वःसत्यापित शपथ–पत्र जिसमें निर्दिष्ट होगा कि वह नेत्रहीन/दृश्य विकलांगता/लोकोमोटर विकलांगता (दोनो हाथ प्रभावित) उम्मीदवार हैं एवम लिपिक की योग्यता पद हेतु अपेक्षित अनिवार्य योग्यता से कम है, के साथ परीक्षा के प्रवेश के समय से तीस मिनट पहले अलग से लिपिक की अनुमति हेतु केन्द्र अधीक्षक को आवेदन करेंगें। लिपिक की योग्यता दसवीं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जहां योग्यता डिप्लोमा/12वीं अपेक्षित है तथा जहां योग्यता स्नातक अपेक्षित है वहां लिपिक 12वीं से अधिक नहीं होना चाहिए। लिपिक से एक समरुप शपथपत्र भी आवेदन के साथ केन्द्र अधीक्षक को भी देना अपेक्षित होगा। ऐसे उम्मीदवार को 20 मिनट प्रति घण्टे की दर से अतिरिक्त समय/क्षतिपूरक समय की अनुमति होगी। ऐसी अनुमति दस्तावेजों को चेक करने के पश्चात केन्द्र अधीक्षक द्वारा दी जाएगी।

मानक विकलांगता (नेत्रहीन/दृश्य विकलांगता/लोकोमोटर विकलांगता (दोनो हाथ प्रभावित)), वाले सभी उम्मीदवारों जो लिपिक की सुविधा नहीं ले रहें हैं उन्हें 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

***मानक दिव्यांग व्यक्ति से अभिप्राय है व्यक्ति जिनकी विकलांगता विनिर्दिष्ट विकलांगता से 40% से कम नहीं है जहां विनिर्दिष्ट विकलांगता को मापक शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है तथा वह विकलांग व्यक्ति शामिल होगा जहां विनिर्दिष्ट विकलांगता प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार मापक शर्तों में परिभाषित किया गया है।

22. उपरोक्त निर्देश पहले से ही एचएसएससी की वैबसाईट (www.hssc.gov.in.) पर उपलब्ध है। उम्मीदवार को उपरोक्त निर्दिष्ट दिशा निर्देशों, विज्ञापन में दिए गए निर्देशों या एडमिट कार्ड पर प्रश्न बुकलेट ओएमआर/आनसर शीट इत्यादि पर मुद्रित निर्देशों का पालन करना होगा। अतः, उम्मीदवारों को दोबारा सलाह दी जाती है कि वे एचएसएससी वेबसाईट, विज्ञापन, परीक्षा सूचना, एडमिट कार्ड, प्रश्न बुकलेट ओएमआर/आनसर शीट या किसी अन्य रीति द्वारा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढें एवम समझे। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह परिणामों के लिए स्वयं ही जिम्मेवार होगा/होगी।

स्थानः पंचकुला
दिनांकः06 दिसंबर, 2021

सचिव
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
पंचकूला